न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कक्ष संख्या–2, कन्नौज।

उपस्थित : श्री रजनीश मोहन वर्मा ..... उच्चतर न्यायिक सेवा।

(J.O.CODE-UP 1672)

UPKJ010004532018

सत्र परीक्षण संख्या–33/2018

राज्य बनाम **1– जाबिर पुत्र साबिर उर्फ शब्बीर हसन,**

निवासी मो० चिरैयागंज थाना कोतवाली व

जनपद कन्नौज।

2–अतहर वारसी पुत्र स्व० मो० नईम,

निवासी मोहल्ला अजयपाल थाना कोतवाली

व जिला कन्नौज।

मुकदमा अपराध संख्या–673/2015

धारा–307,298,504,506 भा0दं0सं0

व धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट

थाना कोतवाली कन्नौज, जनपद कन्नौज।

(प्रारूप–क)

(निर्णय दिनांक 29.04.2026)

(सत्र परीक्षण संख्या–33/2018)

(अपराध संख्या–673/2015)

पुलिस थाना–कन्नौज, जिला– कन्नौज।

सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा	मान सिंह अवस्थी
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री मयंक द्विवेदी
अभियुक्तगण	**1**–जाबिर 2–अतहर वारसी
अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	श्री नईमुल हाशमी, अधिवक्ता

Digitally signed by Rajneesh Mohan Verma
Date: 2026.05.02 10:26:40 IST
Reason: Judgment
Location: Adj/ftc-2 Kannnauj

(प्रारूप–ख)

घटना की तिथि	05.07.2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन का दिनांक	07.07.2015
अभियोग पत्र क्रमांक एवं प्रस्तुती दिनांक	673/2015 दि०27.12.2016
आरोप विरचित करने का दिनांक	12.04.2018

(प्रारूप–ग)

अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क–अभियोजन साक्षीगण

साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी०डब्लू०1	मान सिंह	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	मजरूब अमर दीप सिंह	गवाह
पी०डब्लू०3	रीता अवस्थी	गवाह

ख–अभियोजन साक्षीगण द्वारा साबित दस्तावेजीय साक्ष्य।

प्रदर्श	**विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०1
प्रदर्श क–2	आरोपपत्र	पी०डब्लू–4

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में थाना कन्नौज, जिला कन्नौज की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण **जाबिर व अतहर वारसी** के विरुद्ध आरोपपत्र मुकदमा अपराध संख्या–673/2015 अन्तर्गत धारा–307, 298, 504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट में प्रेषित किया गया। जिसपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा दिनांक 18.01.2018 को प्रसंज्ञान लिया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 207 दं०प्र०सं० का अनुपालन करने के पश्चात पत्रावली दिनांक 18.01.2018 को सत्र सुपुर्द की गयी जिसके उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध धारा–307,298,504 एवं 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत मामले को सत्र परीक्षण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार उक्त

पत्रावली इस न्यायालय को स्थानान्तरित करके प्राप्त करायी गयी।

संक्षेप में मामले के तथ्यः–

2. वादी मुकदमा की तहरीर के अनुसार संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि ''दिनांक 05.07.2015 को समय करीब शाम 06.30 बजे वादी अपने घर पर मौजूद था तभी घर के बाहर तेज शोर शराबा सुनाई दिया। वादी व वादी का भाई अमरदीप घर से बाहर निकले तो देखा कि मो० चिरैयागंज निवासी जाबिर पुत्र साबिर अपने साथी अतहर वारसी पुत्र नईम व अकरम वारसी पुत्र अकील निवासीगण लाखन चौराहा, लईक अहमद उर्फ जानी पुत्र कदीर अहमद निवासी मो० मीरवैश्य टोला, भोले कुरैशी व बबलू कुरैशी पुत्रगण लतीफ निवासीगण मो० शेखपुरा के साथ असलहे लेकर अपने घर से वादी के मोहल्ले में घुसकर अन्धाधुन्ध फायरिंग कर दहशत फैला रहे थे तथा सभी हिन्दुओं को धार्मिक गालियां देकर उन्माद भी कर रहे थे। वादी व उसके भाई को देखते ही उक्त भोले कुरैशी ने कहा कि इन सालों को जान से मार दो यह बहुत बड़े हिन्दूवादी है। भोले कुरैशी के इतना कहते ही उक्त सभी मुल्जिमान ने एकराय होकर वादी व उसके अमरदीप पर जान से मारने की नीयत से फायर करना शुरू कर दिये जिससे गोली लगने से वादी का भाई अमरदीप गम्भीर रूप से घायल हो गया। चीख पुकार व फायरिंग की आवाज पर मोहल्ले पड़ोस के तमाम लोग मौके पर आ गये जिन्होंने घटना देखी व मुल्जिमान को ललकारा तो मुल्जिमान उपरोक्त आइन्दा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गये। वादी के भाई की हालत गम्भीर देख मोहल्ले के लोगों ने 108 एम्बुलेन्स बुलवायी तब वादी अपने घायल भाई को इलाज हेतु जिला अस्पताल ले गया। वादी के मजरूब भाई की हालत अधिक गम्भीर होने के कारण उसे कानपुर हैलट अस्पताल के लिये रिफर कर दिया गया। वादी ने अपनी तहरीर में यह भी कहा है कि वादी के भाई की हालत अधिक गम्भीर होने के कारण प्रार्थी घटना के तुरन्त बाद रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सका तथा अभी तक कानपुर में इलाज कराता रहा अब हालत में सुधार होने पर रिपोर्ट को आया है। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की गयी। "

3. वादी मुकदमा मान सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कन्नौज में दिनांक 07.07.2015 को अभियुक्तगण **जाबिर, अतहर वारसी, लईक एवं अकरम**

वारसी के विरूद्ध **चिक प्रथम सूचना** मु०अ०सं० 673/2015 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 298, 504, 506 भा०दं०सं० एवं 7 सी.एल.ए एक्ट में पंजीकृत की गयी,जिसका खुलासा **जी०डी० कायमी** में किया गया।

4. मामले की विवेचना के दौरान विवेचक ने गवाहान व अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अंकित किये। वादी मुकदमा की निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया। मजरूब का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। साक्ष्य संकलन के उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्तगण **जाबिर व अतहर वारसी** के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–307, 298, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट के अपराध के लिये अभियुक्तगण के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आरोप का विरचन

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2018 को अभियुक्तगण **जाबिर एवं अतहर वारसी** के विरूद्ध धारा–307, 298, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य–

6. अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया।

पी०डब्लू०1	मान सिंह अवस्थी	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०2	अमरदीप अवस्थी	साक्षी
पी०डब्लू०3	रीता अवस्थी	साक्षी
पी०डब्लू०4	निरीक्षक	विवेचक

7– अभियोजन के द्वारा निम्नलिखित प्रपत्रों को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया।

प्रदर्श	**विवरण**	**साबित करने वाले साक्षी**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू०1

प्रदर्श क–2	आरोपपत्र	पी०डब्लू–4
प्रस्तुत वाद सत्र परीक्षण वाद संख्या–05/2016 से कनेक्ट होने के कारण उक्त वाद के दस्तावेजों को भी गवाहों को दिखाकर संदर्भित किया गया है और उक्त वाद का विचारण व निर्णय भी प्रस्तुत वाद के साथ ही किया जा रहा है।		

8. अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त जाबिर ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानका को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–3 व पी.डब्लू.–7 के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूंठी गवाही देने का कथन किया है, तथा साक्षी पी.डब्लू.–4 एवं पी.डब्लू.–5 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का विकल्प चुना है। पी.डब्लू.–6 व पी.डब्लू.–8 विवेचक के द्वारा गलत विवेचना किये जाने का कथन किया गया है। इसी प्रकार अभियुक्त अतहर वारसी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियोजन कथानका को गलत बताया है। साक्षी पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–3 व पी.डब्लू.–7 के साक्ष्य के सम्बन्ध में झूंठी गवाही देने का कथन किया है, तथा साक्षी पी.डब्लू.–4 एवं पी.डब्लू.–5 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का विकल्प चुना है। पी.डब्लू.–6 व पी.डब्लू.–8 विवेचक के द्वारा गलत विवेचना किये जाने का कथन किया गया है।

सफाई साक्ष्य

9. न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अभियुक्तगण की ओर से कोई भी सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क

10. न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से विद्वान विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया कि अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये प्रत्येक आरोप को साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विस्तृत बहस प्रस्तुत करते

हुये अभियोजन के द्वारा परीक्षित प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य पर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कारते हुये कथन किया गया कि अभियुक्तगण अतहर वारसी एवं जाबिर पर लगाये गये किसी भी आरोप को अभियोजन के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है, इसलिये अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जाये।

11. उभयपक्षों के तर्कों को दृष्टिगत रखते हुये तथा पत्रावली का परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि निम्नलिखित अवधारणीय बिन्दु निष्कर्ष पर पहुंचने तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करने के लिये आवश्यक व समीचीन हैः–

1. क्या अभियोजन के द्वारा यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया कि दिनांक 05.07.2015 को कथित घटनास्थल पर फायरिंग हुयी और उक्त फायरिंग में अमरदीप को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल किया गया?

2. क्या अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण जाबिर एवं अतहर वारसी पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 का निस्तारण

12. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा मान सिंह अवस्थी** को परीक्षित कराया गया है। साक्षी के द्वारा अपने बयान की **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि,"दिनांक 05.07.2015 को समय करीब शाम के 6.30 बजे मैं अपने घर पर मौजूद था। बाहर मुझे शार शरावा सुनायी दिया था। कुछ लोग आपस में गाली गलौज व झगड़ा कर रहे थे। उसमें जाबिर, अतहर वारसी व अकरम वारसी निवासी लाखन चौराहा, लईक अहमद , भोले व बबलू कुरैशी आदि नहीं थे न ही ये लोग अधाधुन्ध फायरिंग कर रहे थे और न ही हिन्दुओं को गालियां देकन धार्मिक भावनाये भड़का रहे थे। मेरा भाई अमरदीप भी घर के बाहर आ गया था। धक्का मुक्की में ईंट से पट्टे के ऊपर गिर जाने व किसी के द्वारा भीड़ में फायरिंग करने से उसको चोट आ गयी थी। मैंने लोगों के कहने पर उपरोक्त लोगों के नाम मोहल्ले वालों के कहने पर लिखा दिये थे। हाजिर अदालत न्यायालय में मौजूद अतहर वारसी, जाबिर, बबलू एवं अकरम को देखकर कहा ये लोग मौजूद नहीं थे। लोगों के कहने पर मैंने एक प्रार्थनपत्र टाइपशुदा जो कि पत्रावली पर कागज संख्या–4ए/4 सत्र परीक्षण संख्या–05/2016 में मौजूद है जिसपर पूर्व से **प्रदर्श क–1** पड़ा हे जिसपर मेरे हस्ताक्षर है

जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। "अतः इस साक्षी ने अपने भाई अमरदीप को गोली लगने के तथ्य को साबित किया है। जहां तक आरोपित अभियुक्तगण के आरोप साबित होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में ही अभियुक्तगण के द्वारा उक्त घटना कारित करने के तथ्य से इंकार किया है। इस सम्बन्ध में साक्ष्य का विस्तृत विश्लेषण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण में आगे किया जा रहा है।

13. अभियोजन की ओर से प्रकरण में **साक्षी पी०डब्लू०–2 अमरदीप** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन किया है कि " घटना दिनांक 05.07.2015 को शाम करीब 06.30 बजे लगभग की है। मैं अपने बाबा के पास घर के अन्दर बैठा था तभी बाहर से शोरगुल की आवाज सुनाई दी। मैं घर से निकलकर बाहर रोड पर खड़े होकर देखने लगा तभी चिरैयागंज की तरफ से शोरगुल व गाली देते हुये जाबिर अपने साथ अतहर वारसी, अकरम, बबलू व शम्मू उर्फ शमीम तथा 2–3 अज्ञात लोग आये और कहने लगे मारो सालो को ज्यादा हिन्दू वादी बनते है तभी अकरण वारसी ने अपने हाथ में लिये हुये तमंचे से मेरे पेट में कमर के पास जान से मारने की नियत से गोली मार दी। गोली लगते ही मैं वहा गिर पड़ा था। सभी मुल्जिमान अंधाधुन्ध फायरिंग करते हुये भाग गये। मेरी पत्नी रीता ने भी मुल्जिमानों को भागते हुये देखा था। मुझे घायल अवस्था में मेरे भाई जयचन्द अवस्थी व मन्नीलाल अवस्थी अन्य मोहल्ले के लोग आ गये थे। ये लोग मुझे उठाकर जिला अस्पताल कन्नौज ले गये जहा सं मेरी गम्भीर स्थिति को देखते हुये मुझे कानपुर हैलट अस्पताल रिफर कर दिया गया था।" अतः इस साक्षी ने स्वयं को गोली लगने के तथ्य को साबित किया है। जहां तक आरोपित अभियुक्तगण के आरोप साबित होने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में इस साक्षी के सम्पूर्ण मौखिक साक्ष्य अर्थात मुख्य परीक्षा एवं जिरह में किये गये कथनों को विश्लेषण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण में आगे किया जा रहा है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी०डब्लू०–3 रीता अवस्थी** को परीक्षित कराया गया है, उक्त साक्षी ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कहा है कि, घटना दिनांक 05.07.2015 को शाम 06.30 बजे की है। मैं अपने घर के अन्दर कार्य कर रही थी तभी घर के बाहर मारो–मारो व फायरिंग की आवाज सुनायी दे रही थी। उसी समय मुझे अपने पति अमरदीप की चीख सुनायी दी तो मैंने बाहर जाकर देखा कि मेरे पति के पेर में गोली माकर कुछ लोग भाग रहे है। बाद में पता चला कि भागने वाले व्यक्ति जाबिर, अतहर

वारसी, अकरम, बबलू, शम्मू उर्फ शमीम आदि लोग थे जो फायरिंग करते हुये भाग रहे थे। मेरे पति के पेट में गोली लग जाने के कारण घायल अवस्था में पड़े थे। मेरे पति अमरदीप को घायल अवस्था में उठाकर जिला अस्पाल कन्नौज ले गये थे। जहां से उनकी गम्भीर स्थिति को देखते हुये हैलेट अस्पताल कानपुर रिफर कर दिया गया था।" अतः इस साक्षी ने भी कथित घटना के दिनांक, समय व स्थान पर अपने पति अमरदीप को गोली मारने के तथ्य को साबित किया है यद्यपि अभियुक्तगण के सम्बन्ध में आरोप साबित होने के संबंध में इस साक्षी के मुख्य परीक्षा व जिरह का विश्लेषण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 के निस्तारण में आगे किया जा रहा है।

15. साक्षी पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा मान सिंह, पी.डब्लू.–2 चुटहिल अमरदीप तथा पी.डब्लू.–3 रीता अवस्थी के साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषण से यह तथ्य साबित होता है कि दिनांक 05.07.2015 को कथित घटनास्थल पर अमरदीप को जान से मारने की नियत से बन्दूक की गोली से मारकर घायल किया गया था। अतः अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि कथित घटनास्थल पर फायरिंग हुयी और उक्त फायरिंग में अमरदीप को जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल किया गया।

निस्तारण अवधारणीय बिन्दु संख्या–2

16. अवधारणीय बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण में साक्ष्यों का विश्लेषण करने से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि साक्षी पी.डब्लू.–2 अमरदीप चुटहिल ने तथा उसकी पत्नी साक्षी पी.डब्लू–3 रीता अवस्थी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुये कथित घटना अभियुक्तगण जाबिर व अतहर वारसी व अन्य सहअभियुक्तों के द्वारा कारित किये जाने का कथन किया है, परन्तु वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 मान सिंह अवस्थी ने अपनी मुख्य में ही उक्त घटना आरोपी अभियुक्तगण के द्वारा कारित किये जाने के तथ्य से इंकार किया है। अब यहां पर साक्षी पी.डब्लू.–2 अमरदीप एवं साक्षी पी.डब्लू.–3 रीता अवस्थी के जिरह का विश्लेषण किया जाना न्यायहित में आवश्यक व समीचीन है। साक्षी पी.डब्लू.–2 अमरदीप ने अपनी जिरह में कथन किया है कि " मैं हाजिर अदालत मुल्जिमान जाबिर व अतहर को न जानता हूं न पहचानता हूं। घटना के समय मैं अन्दर था, शोर की आवाज

सुनकर मैं बाहर निकला तो देखा कि सड़क पर 3–4 सौ आदमियों की भीड़ थी, किसी ने भीड़ से फायर किया जिसकी गोली मेरे लगी, गोली चलाने वाले को मैं नहीं देख सका और मैं बेहोश हो गया था। मुझे उठाकर मेरी पत्नी व भाई मान सिंह अस्पताल ले गये थे। मैंने गोली चलाने वाले का नाम न तो अपनी पत्नी को बताया था और न अपने भाई मान सिंह को बताया था। हाजिर अदालत मुल्जिमानों द्वारा न तो गालियां देते सुना था और न जाति/धर्म सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। मुल्जिमानों द्वारा न ही धमकी देने वाली बात सुनी थी। लोगों के कहने पर मैंने पहला मुख्य बयान दिया था। मेरे भाई मान सिंह ने घटना की रिपोर्ट में उपरोक्त मुल्जिमानों को नाम कैसे लिखा दिया मैं नहीं बता सकता।"अतः इस साक्षी ने अपनी जिरह में उक्त घटना अभियुक्तगण जाबिर व अतहर वारसी के द्वारा कारित किये जाने के तथ्य से पूर्णतः इंकार किया है। इस प्रकार इन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेहास्पद हो जाते हैं।

17. इसी प्रकार चुटहिल की पत्नी पी.डब्लू.–3 रीता अवस्थी की जिरह का अवलोकन किया जाये तो इसने अपनी जिरह में कथन किया है कि " मैं अपने घर के अन्दर थी, शोर की आवाज सुनी, भीड़ में 400–500 आदमी एकत्रित थे। हमारे पहुंचने से पहले भीड़ में किसी व्यक्ति ने मेरे पति अमरदीप को गोली चलायी थी, जो मेरे पति अमरदीप को लगी थी। गोली चलाने वाले को मैं देख नहीं सकी थी, क्योंकि मैं बाद में आयी थी। मेरे पति गोली लगने से बेहोश हो गये थे। मेरे पति ने गोली मारने वाले का नाम नहीं बताया पाया था। मैं अपने पति को अस्पताल लेकर चली गयी थी। मेरे पति ने व मैंने वादी मुकदमा मान सिंह को हाजिर अदालत मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे। उन्होंने रिपोर्ट में जाबिर व अतहर के नाम कैसे लिखा दिये ज्ञात नहीं है। मैंने उपरोक्त बातें दरोगाजी को बतायी थी, उन्होंने नहीं लिखी मैं नहीं बता सकती।" इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि इससे पहले जो इसने बयान दिये थे वह लोगों के कहने व बताने पर दिया था। मुल्जिमानों ने कोई धर्म विरोधी बात व गाली गलौज व धमकी नहीं दी। अतः इस साक्षी के उपर्युक्त साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्तगण जाबिर व अतहर वारसी पर अभियोजन द्वारा लगाये गये आरोप पूर्णतः संदेहास्पद हो जाते है।

18. गुजरात राज्य बनाम जय राजीभाई पंजाबी भाई वारू 2016 क्रिमिनल

लॉ जर्नल 4185 SC के मामले में निर्णय की कंडिका–13 में यह अभिव्यक्त किया है कि–

13–*The burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justice in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted.*

अभियेाजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 मान सिंह, पी.डब्लू.–2 अमरदीप, पी.डब्लू.–3 रीता अवस्थी के साक्ष्य के उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि इन साक्षियों ने अभियुक्तगण अतहर वारसी व जाबिर के द्वारा आरोपित अपराध कारित करने के तथ्य से अपनी जिरह में पूर्णतः इंकार कर दिया है। अतः उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर अवधारणीय बिन्दु संख्या–2 इस प्रकार निर्णीत किया जाता है कि **अभियोजन के द्वारा अभियुक्तगण अतहर वारसी व जाबिर पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेन्ट एक्ट को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है और अभियुक्तगण अतहर वारसी एवं जाबिर को इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।**

आदेश

अभियुक्तगण **अतहर वारसी एवं जाबिर,** अपराध संख्या–**673/2015** के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत **धारा–307, 298, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेण्ट एक्ट** संदेह से परे सिद्ध न होने के कारण अभियुक्तगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर रहे है। उनके जमानतदारों को प्रतिभू के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त प्रत्येक को निर्देशित किया जाता है कि वे धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी.एन.एस.एस.) का अनुपालन करते हुए **मु. 25–25,000/–(पच्चीस–पच्चीस हजार)** रूपये के बंधपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **दो–दो प्रतिभू अन्दर सप्ताह** दाखिल करे, जिसकी **अवधि 6 माह** तक होगी तथा अपील दाखिल किये जाने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी।

दिनांक 29.04.2026 **(रजनीश मोहन वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672

यह निर्णय व आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित करते हुये सुनाया गया।

दिनांक 29.04.2026 **(रजनीश मोहन वर्मा)**
अपर सत्र न्यायाधीश
एफ.टी.सी. कक्ष संख्या–2, कन्नौज।
J.O.CODE–UP1672